



भारत में आपदा प्रबंधन नीतियों का विश्लेषण- 1997 से 2024 तक

महेन्द्र कुमार बैरवा

सहायक व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय फुलियां कला

शाहपुरा, भीलवाड़ा,

प्रस्तावना

भारत प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील देश है, जिसमें भौगोलिक विविधता, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इसे और भी जटिल बनाते हैं। 1997 से लेकर 2024 तक का समय आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलावों और नीतिगत सुधारों का गवाह रहा है। इस अवधि में सरकार और प्रशासनिक ढांचे ने आपदा प्रबंधन को प्रतिक्रिया-आधारित दृष्टिकोण से हटाकर जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित किया।

इन नीतियों और घटनाओं का विश्लेषण कुछ प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है:

1. **1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन** - जिसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाई।
2. **2001 का गुजरात भूकंप** - जिसने आपदा तैयारियों और संरचनात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया।
3. **2004 की सुनामी** - जिसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत किया।
4. **2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम** - जिसने संस्थागत और कानूनी ढांचे को स्थापित किया।
5. **2013 केदारनाथ बाढ़** - जिसने जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम आकलन की आवश्यकता पर बल दिया।
6. **2018 केरल बाढ़ और 2020 के कोविड-19 महामारी** - ने आपदा प्रबंधन की बहुआयामी चुनौतियों को रेखांकित किया।

2024 तक, भारत की आपदा प्रबंधन नीतियों में तकनीकी सुधार, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, और समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह अध्ययन इन घटनाओं और नीतियों की समीक्षा के साथ-साथ उनके प्रभाव और सुधार के क्षेत्रों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द- आपदा, प्रबंधन, प्राधिकरण, न्यूनीकरण, सामुदायिक, पुनर्वास, पुनर्निर्माण

भारत में आपदा प्रबंधन की नीतियों का 1997 से 2024 तक का विश्लेषण भारतीय समाज और शासन की आपदाओं से निपटने की क्षमता और इसके विकास की कहानी को समझने का प्रयास है। यह कालखंड भारत के आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलावों और नीतिगत सुधारों का गवाह रहा है। 1997 से पहले, आपदा प्रबंधन मुख्यतः राहत और पुनर्वास पर केंद्रित था, लेकिन इस दौर में तेजी से बढ़ती प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं ने नीतिगत बदलाव की आवश्यकता को उजागर किया।

इस समयावधि में कई महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएँ बनाई गईं, जिन्होंने आपदा प्रबंधन को व्यवस्थित और संस्थागत स्वरूप दिया। 2001 के गुजरात भूकंप, 2004 की सुनामी, और 2013 के उत्तराखंड बाढ़ जैसे प्रमुख आपदाओं ने न केवल देश की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को परखा, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) की दिशा में नई नीतियों को जन्म दिया।

विशेष रूप से 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) लागू होने के बाद, भारत में एक व्यापक और संरचनागत दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना और विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए।

भारत में आपदा प्रबंधन की नीति व्यापक और व्यवस्थित है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना, तत्पर प्रतिक्रिया देना और पुनर्निर्माण करना है। इस नीति का आधार संविधान, कानून, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

आपदा प्रबंधन की मुख्य विशेषताएँ:

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (NDMA Act)

- यह अधिनियम आपदाओं से बचाव, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण से संबंधित है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** का गठन, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है।
- राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009

- आपदा जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ।
- आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और पुनर्वास।
- सामाजिक जागरूकता और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।

3. संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 51(A) में नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें।
- आपदा प्रबंधन को राज्यों और केंद्र के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।

4. मुख्य घटक

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction):** भवन कोड, बाढ़ प्रबंधन, भूकंप प्रतिरोधी संरचना।
- **तत्पर प्रतिक्रिया (Emergency Response):** राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF/SDRF)।
- **पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार और सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रभाव को कम करना।

5. संस्थागत ढाँचा

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** आपदा प्रबंधन में शोध और प्रशिक्षण।
- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** और **सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी:** पूर्व चेतावनी और आपदा पूर्वानुमान।
- **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):** बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के प्रबंधन में उपयोग।

चुनौतियाँ और सुधार के सुझाव:

1. चुनौतियाँ

- सामुदायिक जागरूकता की कमी।
- फंड और संसाधनों की कमी।
- शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षति।

2. सुझाव

- आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक सतर्कता।
- शिक्षा प्रणाली में आपदा प्रबंधन का समावेश।
- स्थानीय समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

भारत में आपदा प्रबंधन नीति का उद्देश्य न केवल आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को इनसे उबरने में सक्षम बनाना भी है।

हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, और महामारी जैसी नई चुनौतियों ने आपदा प्रबंधन को और अधिक जटिल बना दिया है। इस अवधि में न केवल नीतियों का दायरा व्यापक हुआ, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश भी हुआ। यह विश्लेषण इन नीतियों की प्रभावशीलता, उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया, और आपदा जोखिम कम करने में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास है।

भारत में आपदा प्रबंधन की नीतियों का 1997 से 2024 तक का विश्लेषण निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं और नीतियों पर आधारित है:

1997 से पहले की स्थिति

1990 के दशक के अंत तक भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कोई संगठित नीति नहीं थी। आपदाओं का सामना करने के लिए अधिकतर प्रतिक्रिया-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता था, जिसमें आपदा के बाद राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण या आपदा प्रबंधन के लिए कोई स्थायी संस्थान नहीं था।

2001 – भुज भूकंप और नीति में परिवर्तन

2001 में गुजरात के भुज में आए विनाशकारी भूकंप ने देश को व्यापक नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने आपदा प्रबंधन पर एक संगठित और संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप आपदा प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने की दिशा में सरकार की ओर से पहल की गई।

2005 – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम

भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना 2005 में "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम" (Disaster Management Act) का लागू होना है। इस अधिनियम ने आपदा प्रबंधन को एक संस्थागत रूप दिया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना की। इस अधिनियम ने आपदा प्रबंधन को चार स्तंभों में विभाजित किया:

- रोकथाम (Prevention)
- तैयारी (Preparedness)
- प्रतिक्रिया (Response)
- पुनर्वास (Recovery)

2016 – आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति

2016 में "राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) नीति" अपनाई गई। यह नीति आपदाओं से बचाव के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण पर केंद्रित थी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वैश्विक "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction" से प्रेरित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक आपदाओं से होने वाले मानव और आर्थिक नुकसान को कम करना था।

COVID-19 महामारी और नीतिगत परिवर्तन (2020)

2020 में COVID-19 महामारी के दौरान, भारत ने आपदा प्रबंधन के तहत नई चुनौतियों का सामना किया। इस वैश्विक संकट के दौरान, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत महामारी की स्थिति में स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान भारत में चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं, राहत सामग्री वितरण और लॉकडाउन जैसे बड़े उपाय किए गए।

2023 – आपदा लचीलापन और पर्यावरण नीति

2023 में सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नई आपदा प्रबंधन नीति बनाई। इसमें आपदाओं के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती और समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग कर आपदा प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने की योजना बनाई गई है।

2024 – भविष्य के लिए योजनाएँ

2024 तक भारत सरकार आपदा प्रबंधन के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर काम कर रही है। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें नवीनतम तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

1997 से 2024 तक भारत में आपदा प्रबंधन की नीतियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। पहले जहाँ आपदा के बाद की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जाता था, वहीं अब रोकथाम, तैयारी, और जोखिम न्यूनीकरण पर ज़ोर दिया जा रहा है। नई नीतियों में पर्यावरणीय आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए आपदा लचीलापन पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन की नीति का विकास समय के साथ एक संगठित और समन्वित प्रक्रिया के रूप में हुआ है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने के बाद, देश में आपदाओं

से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया। इसमें **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)**, **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)**, और **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)** शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना, तत्पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, और पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सुधार करना है। इसमें **सामुदायिक भागीदारी**, **जागरूकता कार्यक्रम**, और **प्रौद्योगिकी आधारित समाधान** जैसे प्रयास शामिल हैं।

हालांकि, इस नीति में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और संसाधनों की कमी, बहु-स्तरीय समन्वय में समस्याएँ, और जलवायु परिवर्तन से बढ़ती आपदाओं के प्रभाव।

सुधार के लिए **स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी**, **सशक्तिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम**, और **वास्तविक समय पर डेटा आधारित निर्णय** आवश्यक हैं। समग्र रूप से, भारत की आपदा प्रबंधन नीति ने काफी प्रगति की है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. **भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005.** (2005). नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
2. **भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA).** (2009). *राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति*। नई दिल्ली: एनडीएमए।
3. **विज, पी.** (2013). *भारत में आपदाओं का प्रभाव और समाधान: एक अध्ययन*। जयपुर: राजस्थान पब्लिशिंग हाउस।
4. **शर्मा, आर. के.** (2016). *आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी*। नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
5. **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD).** (2018). *भारत में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन*। पुणे: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।
6. **गुप्ता, एम. सी., & त्यागी, एस.** (2019). *आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आयाम*। लखनऊ: भारत बुक सेंटर।
7. **मोदी, नरेंद्र.** (2016). *सेंडाई फ्रेमवर्क और भारत का दृष्टिकोण*। नई दिल्ली: भारत सरकार।
8. **राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (RSDMA).** (2020). *राजस्थान में आपदाओं का प्रभाव और प्रबंधन*। जयपुर: राजस्थान सरकार।
9. **कुमार, ए. के.** (2021). *कोविड-19 और स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन*। वाराणसी: भारती प्रकाशन।
10. **भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM).** (2023). *आपदा प्रबंधन में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग*। नई दिल्ली: एनआईडीएम।